

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2014

विषय - वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु
द्वितीय किस्त की अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-343/आपदा-बाढ़-आगणन-2013-14, दिनांक 04.03.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु कुल 264.685 लाख की धनराशि निम्न कार्य/निम्न शासनादेशों द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत की गयी थी :-

(क) शासनादेश संख्या-2828/1-10-2013, दिनांक 19.08.2013 द्वारा

क्र०सं	कार्यदायी विभाग का नाम	कार्य/ परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत/मांगी गयी धनराशि (लाख में)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	बाढ़ कार्य खण्ड सिंचाई विभाग, इलाहाबाद	अरैल कटान की सुरक्षा हेतु	59.34	29.67

(ख) शासनादेश संख्या-2896/1-10-2013, दिनांक 04.09.2013 द्वारा

क्र०सं	कार्यदायी विभाग का नाम	कार्य/ परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत/मांगी गयी धनराशि (लाख में)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	बाढ़ कार्य खण्ड सिंचाई विभाग, इलाहाबाद	यमुना नदी के बाहिने तट पर हो रहे पूर्व कटान के 25 मीटर डाउन स्टीम में	39.85	19.925

		सुरक्षात्मक कार्य हेतु।		
2	बाढ़ कार्य खण्ड सिंचाई विभाग इलाहाबाद	सलोरी एस0टी0पी0 रिंग बांध के किमी0 0.070 से 0.260 एवं 0.740 से 0.780 तक की सुरक्षा हेतु	39.23	19.615
		कुल योग	79.08	39.54

(ग) शासनादेश संख्या-3107/1-10-2013, दिनांक 18.09.2013 द्वारा

क्र0सं	कार्यदायी विभाग का नाम	कार्यों/ परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत/मांगी गयी धनराशि (लाख में)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	बाढ़ कार्य खण्ड सिंचाई विभाग इलाहाबाद	सलोरी एस0टी0पी0 रिंग बांध के 0.260 से 0.740 तक की सुरक्षा हेतु	75.86	37.93

(घ) शासनादेश संख्या-3229/1-10-2013, दिनांक 04.10.2013 द्वारा

क्र0सं	कार्यदायी विभाग का नाम	कार्यों/ परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत/मांगी गयी धनराशि (लाख में)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	बाढ़ कार्य खण्ड सिंचाई विभाग इलाहाबाद	यमुना नदी के दाहिने तट पर अरैल स्थित त्रिवेणी पुष्प नरसिंह भगवान एवं सोमेश्वर महादेव मन्दिर के सामने सुरक्षात्मक कार्य हेतु	26.16	13.08

(च) शासनादेश संख्या-3524/1-10-2013, दिनांक 27.11.2013 द्वारा

क्र0सं	कार्यदायी विभाग का नाम	कार्यों/ परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत/मांगी गयी धनराशि (लाख में)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, सिंचाई	इलाहाबाद में स्थित सलोरी एस0टी0पी0 रिंग बांध के किमी0 0.00 से 0.455 तक गंगा नदी द्वारा हुये	49.30	24.65

	विभाग, इलाहाबाद/बाढ़ कार्य खण्ड सिंचाई विभाग, इलाहाबाद	कटान की तात्कालिक मरम्मत		
2	तदैव	इलाहाबाद में स्थित सलोरी एस0टी0पी0 रिंग बांध के किमी0 0.425 से 0.455 तक गंगा नदी द्वारा हुये कटान के कारण टूटे हुये रिंग बांध की तात्कालिक मरम्मत	43.26	21.63
3	तदैव	इलाहाबाद में स्थित सलोरी एस0टी0पी0 रिंग बांध के किमी0 0.455 से 0.800 तक गंगा नदी द्वारा हुये कटान की तात्कालिक मरम्मत	49.73	24.865
4	तदैव	इलाहाबाद में स्थित बक्शी बांध पर गंगा नदी द्वारा हुई कटान को रोकने व उस पर पिचिंग, बक्शी बांध पर लगे स्लुजगेटों तथा सलोरी एस0टी0पी0 रिंग बांध पर लगे स्लुजगेटों को बन्द करने व पुनः खोलने के तात्कालिक मरम्मत का कार्य।	48.82	24.41
		कुल योग	191.11	95.555

(छ) शासनादेश संख्या-3579/1-10-2013, दिनांक 09.12.2013 द्वारा

क्र0 सं0	कार्यदायी विभाग का नाम	कार्यों/ परियोजनाओं की संख्या/नाम	अनुमानित लागत/भागी गयी धनराशि (लाख में)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
-------------	---------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------

1	अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, सिंचाई विभाग, इलाहाबाद/बाढ़ कार्य खण्ड सिंचाई विभाग, इलाहाबाद	इलाहाबाद में यमुना नदी के दाहिने तट पर अरैल बांध में नये यमुना पुल के नीचे अपसट्रीम में 85 मी० से लेकर डाउनस्ट्रीम में 490 मी० तक हुई भीषण कटान की तत्कालिक मरम्मत कार्य के संबंध में	49.56	24.78
2	तदैव	इलाहाबाद में यमुना नदी के दाहिने तट पर अरैल बांध में नये यमुना पुल के नीचे डाउनस्ट्रीम में 495 मी० से 920 मी०, 1060 मी० से 1120 मी० एवं 1560 मी० से 1595 मी० के बीच हुई भीषण कटान की तत्कालिक मरम्मत कार्य के संबंध में	48.26	24.13
		कुल योग	97.82	48.91
		कुल महायोग	529.37	264.685

2- इस सन्बन्ध में आपके पत्र संख्या-343/आण्टा-बाढ़-आगणन-2013-14, दिनांक 04.03.2014 में किए गए अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त कार्य की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि ₹0 2,64,68,500/- (कुल रुपये दो करोड़ चौंसठ लाख अड़सठ हजार पाँच सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनोत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के तामे डाला जायेगा।

4- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मटे में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन

की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012 दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा।

5- उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014 दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रोत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

6- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0 78/पीएसआर/2012 दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1 दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008 दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013 दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

7- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कटाधि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

8- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोजिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

9- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

10- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदघार

मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

11- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

12- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही गदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,



(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

h

संख्या-256 (1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 7- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 12- गाई फाइल।

आज्ञा से,



(मदन मोहन)

अनु सचिव।

h